

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप-2)विभाग

क्रमांक:प0 12(04)चिस्वा/2/2014पार्ट

जयपुर,दिनांक: 31/10/17

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0 जयपुर।

विषय:- इन सर्विस कोटे से पीजी करने वाले चिकित्सको को अध्ययन अवकाश स्वीकृत करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 01.09.17 के अतिक्रमण में महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज, जयपुर से सेवारत कोटे से पीजी अध्ययनरत निम्न चिकित्सको को निम्नानुसार अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

क्र. सं.	चिकित्सक का नाम	पीजी में अध्ययनरत विभाग	अध्ययन अवकाश अवधि
1.	डॉ सुभाष विश्वा	चर्म रोग	27.05.17 से 26.05.20
2.	डॉ रवि कुमार सैनी	जन. मेडिसिन	27.05.17 से 26.05.20
3.	डॉ चन्द्रशेखर शर्मा	जन. मेडिसिन	27.05.17 से 26.05.20
4.	डॉ मुकेश कुमार वैष्णव	जन. मेडिसिन	27.05.17 से 26.05.20
5.	डॉ प्रखराशु सिंह धाकड़	जन. मेडिसिन	01.06.17 से 31.05.20
6.	डॉ सन्दीप शिवरान	नैत्र. रोग	08.06.17 से 07.06.20
7.	डॉ प्रमोद सुण्डा	अस्थि रोग	26.05.17 से 25.05.20
8.	डॉ नरेन्द्र सिंह	अस्थि-रोग	02.06.17 से 01.06.20
9.	डॉ जय पानेरी	अस्थि रोग	26.05.17 से 25.05.20
10.	डॉ पंकज कुमार पूनियां	अस्थि रोग	26.05.17 से 05.05.20
11.	डॉ सुमेर सिंह शेखावत	अस्थि रोग	27.05.17 से 26.05.20
12.	डॉ जितेन्द्र सिंह फौजदार	शिशु रोग	27.05.17 से 26.05.20
13.	डॉ श्रेया चौपडा	शिशु रोग	27.05.17 से 26.05.20
14.	डॉ सुमित राही	रेडियोलोजी	27.05.17 से 26.05.20
15.	डॉ सपना कुमारी	स्त्री एवं प्रसूति रोग	01.06.17 से 31.05.20
16.	डॉ अविरल कुमार सिंह	टीबी एण्ड चैस्ट	03.06.17 से 02.06.20

अग्रिम कार्यवाही से पूर्व निदेशालय/सम्बन्धित महाविद्यालय अध्ययन अवकाश की सभी शर्तों की पालना सुनिश्चित कर लें।

उक्त चिकित्सकों को अध्ययन अवधि के दौरान नियमानुसार देय वेतनमान उनके मूल पदस्थापन स्थान से आहरित किया जावेगा।

भवदीय,

शासन उप सचिव

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, जयपुर।
6. अति निदेशक(राजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जयपुर को प्रेषित कर लेख है उपरोक्त चिकित्सको से नियमानुसार राज्य सेवा का बन्ध पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें।
7. सम्बन्धित चिकित्सक।
8. रक्षित पत्रावली।


शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
क्रमांक : ई/चिअ/पीजी/2017/168/ दिनांक 14.11.17

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. शासन संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. रजिस्ट्रार, राजस्थान स्वास्थ्य विभाग विश्वविद्यालय, जयपुर।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, महात्मा गाँधी मेडिकल कॉलेज, जयपुर
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर/जयपुर-प्रथम/जयपुर-द्वितीय/जालौर/सीकर/झुन्झुनू/चित्तोड़गढ़/भरतपुर/जोधपुर/चूरू/अलवर/उदयपुर, राजस्थान को पालनार्थ।
7. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, अजमेर, राजस्थान को पालनार्थ।
8. कार्यालय अधीक्षक एटी सैल मुख्यालय।
9. प्रभारी, सर्वर रूम को भेज कर लेख है कि आज ही विभाग की वेबसाईट पर डालने का श्रम करें।
10. सम्बन्धित डीए को चिकित्सा अधिकारी की पत्रावली हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।


निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर।